नियम और शर्तें - शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक डेबिट कार्ड

ये नियम और शर्तें शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा खाताधारक और/या खाताधारक द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकने वाले किसी भी व्यक्ति को दिए जाने वाले डेबिट कार्ड के जारीकरण और उपयोग पर लागू होती हैं और उसे विनियमित करती हैं।

ये नियम और शर्तें ("नियम") समय-समय पर शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य शर्तों के अतिरिक्त होंगी। शर्तों के सभी परिशिष्ट शर्तों का अभिन्न हिस्सा होंगे।

परिभाषाएं

विषय या संदर्भ के लिए कुछ भी प्रतिकूल न होने तक, इन नियमों और शर्तों में निम्नलिखित शब्दों / अभिव्यक्तियों का मतलब यहां बताए अनुसार होगा:

- **"खाता"** का मतलब कार्ड के उपयोग द्वारा संचालन हेतु खाता(खाते) योग्य होने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा नामित बचत और/या चालू खाते से है।
- **"खाता स्टेटमेंट"** का मतलब समय-समय पर कार्डधारक को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा भेजे गए खाते के आवधिक स्टेटमेंट से है जिसमें उस तिथि तक खाते में किए गए लेनदेन और शेष राशि की जानकारी होती है और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शामिल करने के लिए उचित समझी जा सकने वाली कोई अन्य जानकारी होती है।
- **"खाता धारक"** का मतलब शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता रखने वाले व्यक्तियों, स्वामित्व, भागीदारी मामलों या कंपनी से है। हालांकि, बचत खाते के मामले में, अभिव्यक्ति "खाताधारक" का मतलब केवल उन व्यक्तियों से है जिनके पास बैंक में ऐसा खाता है।
- **"एटीएम"** का मतलब भारत में कहीं भी मौजूद किसी भी ऑटोमेटेड टेलर मशीन से है, चाहे वह शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का या निर्दिष्ट साझाकृत नेटवर्क का, जिस पर अन्य चीजों के साथ-साथ कार्डधारक शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में मौजूद अपने खाते में अपने फंड का एक्सेस के लिए अपने कार्ड का उपयोग कर सकता है।
- **"कार्ड"** का मतलब भारत में खाताधारक और/या खाताधारक द्वारा बैंक के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को जारी किए गए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक डेबिट कार्ड से है।
- **"कार्डधारक"** का मतलब शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाताधारक या खाताधारक द्वारा अधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे कार्ड जारी किया गया है और जो कार्ड रखने के लिए अधिकृत है।
- **"बैंक"** का मतलब शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंकिंग कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सालकॉन औरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025 में है और जिसे इसकी शाखाओं द्वारा संचालित किया जाता

है (जो भी अभिव्यक्ति होगी, जब तक यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो) और इसमें इसके उत्तराधिकारी, सहयोगी कंपनियां, सहयोगी, सहायक कंपनियां, प्रतिनिधि और असाइन शामिल हैं।

- **"मुख्य खाता"** का मतलब उस मुख्य खाते से है जो कार्ड से जुड़ा हुआ है।
- **"एनपीसीआई"** या "भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम" का मतलब भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए अम्ब्रेला संगठन से है जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
- **"वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी)"** वर्णों की स्वचालित रूप से जनरेट होने वाली न्यूमेरिक या अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग है जिससे उपयोगकर्ता को एकल लेनदेन या सत्र के लिए प्रमाणित किया जाता है।
- **"पिन"** का मतलब व्यक्तिगत पहचान संख्या (एटीएम/पीओएस/अन्य मर्चेंट वेबसाइटों इत्यादि का एक्सेस करने के लिए आवश्यक) से है जिसे बैंक द्वारा कार्डधारक को आवंटित किया जाता है और समय-समय पर कार्डधारक द्वारा चुना/संशोधित किया जाता है।
- **"आरबीआई"** का मलतब भारतीय रिजर्व बैंक से है।
- **"पंजीकरण जानकारी/डेटा"** का मतलब पंजीकरण लेनदेन के दौरान कार्डधारक द्वारा साझा की गई जानकारी से है, जैसे कि छवि, व्यक्तिगत वाक्यांश, ओटीपी और/या पिन।
- **"शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्राहक सेवा केंद्र"** का मतलब बैंक द्वारा दी जाने वाली फोन बैंकिंग सेवा से है, जो सभी कार्डधारकों के लिए उपलब्ध होगी। बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का लाभ उठाने वाले सभी कार्डधारक इस संबंध में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों से बाध्य होंगे। कॉल सेंटर 1800-202-5333 या customercare@shivalikbank.com पर हो सकता है।

व्याख्याएं:

- एकवचन में दिए गए सभी संदर्भों को बहुवचन और बहुवचन में दिए गए सभी संदर्भों में एकवचन में भी माना जाएगा और शब्द 'शामिल" का मतलब "बिना किसी सीमा के शामिल" माना जाएगा।
- किसी भी लिंग के लिए दिए गए शब्दों में अन्य लिंग शामिल हैं।
- किसी भी कानून, अध्यादेश या अन्य कानून के संदर्भ में सभी विनियम और अन्य साधन तथा लागू होने से समय से सभी समेकन, संशोधन, पूनः-लागू करने या प्रतिस्थापन शामिल हैं।

- सभी शीर्ष लेख, बोल्ड टाइपिंग और इटैलिक (अगर कोई हो) केवल संदर्भ की सुविधा के लिए डाले गए हैं और शर्तों के अर्थ या व्याख्या को सीमित या प्रभावित नहीं करते हैं।
- विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न होने तक, सामान्य खंड अधिनियम में निर्धारित व्याख्या के नियम यहां शामिल किए गए शर्तों पर लागू होंगे।

शर्तों के लागू होने की योग्यता

शर्तों से कार्डधारक और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच अनुबंध बनता है। कार्ड आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके या लिखित रूप में कार्ड की प्राप्ति की पावती देकर या कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करके या कार्ड से लेनदेन करके या कार्ड के पीओएस सक्रियण या एटीएम द्वारा सक्रियण का अनुरोध करके या शाखा से एकत्र करके या रिकॉर्ड पर मौजूद उसके पते पर कार्ड भेजे जाने के 10 दिन बीत जाने के बाद बिना किसी शर्त के कार्डधारक की सहमति मानी जाएगी और यह माना जाएगा कि उसने शर्तों को स्वीकार किया है। ये शर्तें कार्डधारक के खाते से संबंधित नियमों और शर्तों के अतिरिक्त होंगी और उनका अनादर नहीं करेंगी। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग और/या किसी अन्य चैनल द्वारा लेनदेन पर पूछताछ, स्टेटमेंट के विवरण, इत्यादि सहित किसी भी सेवा/सुविधा का लाभ उठाने वाले कार्डधारक ऐसी सेवाओं/सुविधाओं के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों से हमेशा बाध्य होंगे।

डेबिट कार्ड का जारीकरण

- यहां दिए गए सभी नियम और शर्तें बैंक द्वारा कार्डधारक और/या कार्डधारक द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को दिए गए डेबिट कार्ड के जारीकरण और उपयोग पर लागू होंगी।
- डेबिट कार्ड के जारीकरण और उपयोग आरबीआई के नियमों और बैंक की नीतियों के अधीन होंगे, जो लागू हैं और समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं।
- डेबिट कार्ड और संबंधित पिन कार्डधारक के नाम पर जारी किया जाएगा जो उक्त डेबिट कार्ड को अपनी कस्टडी में रखने के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक उचित सावधानी के साथ कार्डधारक के लिए डेबिट कार्ड और संबंधित पिन जारी करेगा और कार्डधारक के पिन को कार्डधारक के अलावा किसी भी तीसरे पक्ष को खुलासा नहीं करेगा।
- कार्डधारक या संयुक्त खाते की स्थिति में सभी खाताधारक संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से डेबिट कार्ड के उपयोग से होने वाले सभी लेनदेन के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे लेनदेन कार्डधारक/खाताधारक द्वारा अधिकृत थे या अधिकृत नहीं थे।
- खाते को डेबिट कार्ड के उपयोग से होने वाली किसी भी निकासी, हस्तांतरण और/या किसी अन्य लेनदेन की राशि से डेबिट किया जाएगा।

- कार्डधारक किसी भी लेनदेन को पूरा करने के लिए खाते में पर्याप्त धनराशि बनाए रखेगा।
- कार्डधारक बैंक के साथ खाते को ओवरड्रा करने या ओवरड्राफ्ट सीमा, अगर कोई हो, से अधिक कार्ड का उपयोग करके बैंक के साथ सहमत धनराशि निकालने का हकदार नहीं होगा।

पिन जनरेट करना

- खाता खोलने के समय, अगर कार्डधारक के पास भौतिक डेबिट कार्ड उपलब्ध है, तो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को सक्रिय किया जा सकता है।
- कार्डधारक को अपने इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग को सक्रिय करने के लिए ग्राहक आईडी और मोबाइल नंबर के साथ और उसके बाद डेबिट कार्ड के विवरण के साथ नए ग्राहक के रूप में पंजीकरण करना चाहिए।
- कार्डधारक के पास अपना पिन जनरेट करने के लिए वेबसाइट/इंटरनेट बैंकिंग जैसे चैनलों द्वारा ग्रीन पिन जनरेट करने का विकल्प होगा।

पंजीकरण जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा

- कार्डधारक कार्ड के संबंध में उपयोग की जाने वाली छवि, वाक्यांश, पिन और अन्य सत्यापन जानकारी जैसी पंजीकरण जानकारी/डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। पंजीकरण जानकारी/डेटा का उपयोग करके की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए केवल कार्डधारक जिम्मेदार होगा।
- कार्डधारक की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी जानकारी साझा न करे जिससे तीसरे पक्ष द्वारा कार्ड का एक्सेस/उपयोग हो सके। कार्डधारक को पंजीकरण जानकारी/डेटा या कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग या सुरक्षा के किसी अन्य उल्लंघन के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए।
- कार्डधारक इस बात से सहमत है कि बैंक इन प्रसंविदाओं का पालन करने में कार्डधारक की विफलता से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- लागू कानून द्वारा आवश्यक होने पर, बैंक को यह मानते हुए अपने डेटाबेस में पंजीकरण जानकारी/डेटा स्टोर करने और इसका खुलासा करने की अनुमति है कि इस तरह के संरक्षण या प्रकटीकरण की अनुमति लागू कानून द्वारा दी गई है या (i) कानूनी प्रक्रिया का पालन करने या (ii) इन नियम और शर्तों को लागू करने के लिए ऐसा करना उचित रूप से आवश्यक है।

दायित्व के नियम

- कार्ड के उपयोग से पहले, उस दौरान या बाद में, कार्डधारक के इंटरनेट एक्सेस या पासवर्ड प्राप्त करने वाले डिवाइस (जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल फोन इत्यादि) या उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के उचित कामकाज के लिए बैंक का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
- बैंक असफल लेनदेन की देयता नहीं लेता है जो किसी भी कारण से अधूरे हैं।

इंटरनेट धोखाधड़ी

इंटरनेट का उपयोग कई धोखाधड़ी, दुरुपयोग, हैकिंग और अन्य कार्रवाइयों के लिए संवेदनशील होता है। हालांकि, बैंक इसे रोकने के लिए सुरक्षा देने का लक्ष्य रखेगा, लेकिन ऐसी इंटरनेट धोखाधड़ी, हैकिंग और अन्य कार्रवाइयों से कोई गारंटी नहीं दी सकती है जिससे कार्ड का उपयोग प्रभावित हो सकता है।

संचालन संबंधी समस्याएं

बैंक के सर्वर को बेहतर रखने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। हालांकि, बैंक के नियंत्रण से परे संचालन संबंधी समस्याओं के कारण सर्वर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध होने के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

कार्डधारक के दायित्व, उपयोग और कार्ड की वैधता

- ग्राहकों को ऐसा वेलकम किट स्वीकार नहीं करना चाहिए जो खुली स्थिति में पाई जाती है या सौंपी जाती है।
- कार्डधारक को हर समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा और डेबिट कार्ड को हर समय अपने व्यक्तिगत नियंत्रण में रखकर कार्ड के दुरुपयोग से सुरक्षित रखेगा।
- डेबिट कार्ड के साथ उपयोग के लिए कार्डधारक को जारी की गई पंजीकरण जानकारी/डेटा या पंजीकरण जानकारी/डेटा के रूप में कार्डधारक द्वारा चुना गया कोई भी नंबर केवल कार्डधारक के उपयोग के लिए है और गैर-हस्तांतरणीय और पूरी तरह से गोपनीय है।
- पंजीकरण जानकारी/डेटा नंबर का लिखित रिकॉर्ड किसी भी ऐसे रूप, स्थान या तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसके उपयोग को सुविधाजनक बना सके।
- पंजीकरण जानकारी/डेटा किसी भी परिस्थिति में या किसी भी माध्यम से, चाहे स्वेच्छा से या अन्यथा, किसी तीसरे पक्ष को ख़ुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

- कार्डधारक को पहले उपयोग के बाद बैंक द्वारा दिए गए पिन को बदलना होगा और कार्ड के सुरक्षित उपयोग के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में दूसरा पिन चुनना होगा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से पिन बदलते रहना चाहिए।
- कार्डधारक बैंक द्वारा दी गई सभी सुविधाओं और सभी संबंधित शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा और कार्ड और बैंक के साथ सभी व्यवहारों के संबंध में सद्भाव में कार्य करेगा।
- कार्डधारक पंजीकरण जानकारी/डेटा द्वारा प्रमाणित लेनदेन और लिखतों को पूरा करने के लिए बैंक को स्पष्ट अधिकार देता है और उसे रद्द नहीं करेगा। कार्डधारक की पंजीकरण जानकारी/डेटा के सत्यापन के साधनों के अलावा कार्डधारक की ओर से भेजे गए या बताए गए लेनदेन लिखतों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं है।
- कार्डधारक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में बैंक द्वारा खाता और/या कार्ड बनाए रखने में किसी भी त्रुटि या अनियमितता के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करेगा या लिखित संचार द्वारा या बैंक की शाखा को फैक्स द्वारा या ऐसे अन्य साधनों द्वारा सूचित करेगा जो बैंक में स्वीकार्य हो।
- कार्डधारक को पंजीकरण जानकारी/डेटा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियम और शर्तों में उल्लिखित सभी उचित कदम उठाने चाहिए।
- बैंक अपने विवेकाधिकार से मौजूदा कार्ड पर नया पिन जारी कर सकता है।
- यहां बताए गए और बैंक/आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन, कार्डधारक कार्ड और/या पंजीकरण जानकारी/डेटा के किसी अनुचित/धोखाधड़ी/अनधिकृत/डुप्लिकेट/गलत उपयोग या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उपयोग/दुरुपयोग के मामले में बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।
- अगर कोई भी तीसरा पक्ष कार्ड एक्सेस करता है या कार्ड की समय-सीमा समाप्त हो जाती है, तो कार्डधारक कार्ड को कई टुकड़ों में काटकर नष्ट करेगा।
- डेबिट कार्ड की समय-सीमा समाप्ति पर खाता (खातों) के आचरण के संतोषजनक आकलन के अधीन बैंक के पास डेबिट कार्ड को नवीनीकृत करने का एकमात्र अधिकार है। डेबिट कार्ड की समय-सीमा समाप्ति से पहले कार्डधारक के पास डेबिट कार्ड भेजा जाएगा।
- कार्डधारक के पास किसी भी प्लेटफॉर्म पर संबंधित खाते में जाकर पूरे कार्ड या एटीएम या पीओएस या ईकॉमर्स उपयोग को चालू/बंद करने का विकल्प होगा।
- आवश्यक होने पर, कार्डधारक इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग में उपलब्ध कार्ड के फीचर के प्रबंधन द्वारा लेनदेन सीमा निर्धारित कर सकता है अथवा संशोधित कर सकता है। कार्डधारक को कार्ड सेटिंग्स में बदलाव होने पर हर बार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।

- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के मामलों में ग्राहकों को पंजीकृत होने पर एसएमएस अलर्ट और ईमेल भेजा जाएगा।

खोया या चोरी हुआ कार्ड

- कार्ड खो जाने या चोरी होने पर, कार्डधारक को स्थानीय पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और बैंक को उसकी कॉपी भेजनी चाहिए।
- कार्डधारक बैंक को एसएसएफबी के ग्राहक सेवा केंद्र को टेलीफोन द्वारा या लिखित संचार द्वारा या बैंक की अपनी शाखा में फैक्स द्वारा या बैंक में अन्य स्वीकार्य साधनों द्वारा कार्ड के खोने के बारे में सूचित कर सकता है।
- पर्याप्त सत्यापन होने पर बैंक अस्थायी रूप से कार्ड को निलंबित करेगा और उसके बाद ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद बैंक के कार्य दिवस पर कार्य घंटों के दौरान कार्ड को हॉट लिस्ट/रद्द करेगा। इस दौरान, इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके ग्राहक भी अपने कार्ड को ब्लॉक / हॉट लिस्ट भी कर सकते हैं।
- कार्डधारक कार्ड की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सभी कदम उठाएगा।
- कार्ड के हॉटलिस्ट/रद्द होने तक कार्ड पर लगने वाले सभी शुल्क के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा। साथ ही, अगर बैंक यह तय करता है कि उपर्युक्त कदमों का पालन नहीं किया गया है, तो खोए या चोरी हुए कार्ड पर वित्तीय देयता कार्डधारक की होगी।
- कार्डधारक को इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि कार्ड के खो जाने, चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की सूचना देने और बाद में उसके मिल जाने पर उसे तुरंत टुकड़ों में काटना होगा, ताकि तीसरे पक्ष द्वारा इसका दुरुपयोग न किया जा सके।

अनधिकृत या विफल/असफल लेनदेन

a. कार्डधारक को किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए ऐसे लेनदेन की घटना के बाद एसएसएफबी के ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा या किसी भी अन्य साधन से जल्द से जल्द बैंक को इस बारे में सूचित करना चाहिए। कार्डधारक समझता है कि बैंक को सूचित करने में जितना अधिक समय लगेगा, बैंक/कार्डधारक को नुकसान का जोखिम उतना ही अधिक होगा।

b. विफल/असफल लेनदेन को बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा में रिवर्स किया जाएगा और देरी होने पर कार्डधारक को दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

c. कार्डधारक को अनधिकृत लेनदेन और विफल/असफल लेनदेन पर मुआवजे के लिए लागू नियमों, शर्तों और समय-सीमा के लिए बैंक की मुआवजा नीति देखनी चाहिए।

कार्ड का समर्पण/प्रतिस्थापन:

- कार्डधारक के लिए जारी किया गया कार्ड, बैंक की संपत्ति रहेगा और अनुरोध किए जाने पर उसे बैंक को सौंपा जाएगा।
- अगर कार्डधारक को कार्ड सेवाओं की आवश्यकता नहीं है या अगर किसी भी कारण से बैंक द्वारा कार्ड सेवाएं बंद की गई हैं, तो कार्डधारक को रद्दीकरण के लिए बैंक के पास कार्ड वापस करना होगा।

समाप्ति

- कार्डधारक, किसी भी समय बैंक को लिखित सूचना देने के साथ तिरछे में दो टुकड़ों में काटे गए कार्ड को वापस कर कार्ड को बंद/समाप्त कर सकता है।
- बैंक द्वारा विधिवत लिखित सूचना की प्राप्ति तक कार्डधारक सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा।
- बैंक किसी भी समय, सूचना के साथ या बिना, निम्नलिखित सहित परिस्थितियों के अनुसार, अपने पूर्ण विवेक से कार्ड को समाप्त कर सकता है:
  - यहां निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता।
  - बैंक के साथ किए गए किसी भी अनुबंध या प्रतिबद्धता (आकस्मिक या कुछ और) में चूक की घटना।
  - खाताधारक द्वारा किसी भी दिवालियापन, शोध-अक्षमता कार्यवाही या समान प्रकृति की कार्यवाही का विषय बनना।
  - कार्डधारक का निधन होना।
  - खाता बंद करना या खाते में न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखने में विफलता।
  - एफईएमए के उल्लंघन या अन्य वैध कारणों से सक्षम संहिता या राजस्व प्राधिकारी या आरबीआई से अटैचमेंट ऑर्डर की प्राप्ति पर या कार्डधारक के किसी भी कारण से कार्डधारक का ठिकाना बैंक के लिए अज्ञात होने पर।
  - कार्ड 12 महीने से अधिक समय से उपयोग में नहीं है।

स्टेटमेंट और रिकॉर्ड

- कार्डधारक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को कॉल करके अपने लेनदेन का मौखिक या लिखित इतिहास प्राप्त कर सकता है।

- कार्डधारक बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध खाता स्टेटमेंट से लेनदेन रिकॉर्ड और एटीएम पर पिछले 5 लेनदेन भी देख सकता है।

- अगर कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए किसी खाता स्टेटमेंट पर खाते के लेनदेन/विवरण में कोई अनियमितताएं या विसंगतियां पाई जाती हैं, तो कार्डधारक 10 दिनों में बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा। अगर बैंक को 10 दिनों में विरोध के लिए कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक यह मान सकता है कि खाता स्टेटमेंट और लेनदेन सही हैं।

- कार्डधारक के हितों को सुनिश्चित करने के लिए, बैंक कार्ड सुविधाओं का लाभ उठाते समय किसी भी व्यक्ति के एक्सेस और उपस्थिति को कैमरे पर या वीडियो टेप पर अपने विवेक से रिकॉर्ड कर सकता है।

- कार्डधारक के लिखतों के इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में बैंक द्वारा रखे गए सभी रिकॉर्ड और नियम और शर्तों के अनुसार ऐसे अन्य विवरण (जिनमें किए गए या प्राप्त किए गए भुगतान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) और कार्डधारक के विरुद्ध ऊपर उल्लिखित सभी कैमरा/वीडियो रिकॉर्डिंग को ऐसे लिखतों और ऐसे अन्य विवरणों का निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।

दायित्व और क्षतिपूर्ति से बहिष्करण

- सिस्टम की खराबी के कारण सीधे बैंक के नियंत्रण में कार्डधारक को होने वाले प्रत्यक्ष नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होगा। हालांकि, भुगतान प्रणाली की तकनीकी खराबी के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को तब उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा जब प्रणाली में खराबी के बारे में कार्डधारक को डिवाइस के डिस्प्ले पर संदेश द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा बताया गया था।

- लेनदेन के गैर-निष्पादन या दोषपूर्ण निष्पादन के लिए बैंक की जिम्मेदारी मूल राशि और ब्याज की हानि तक सीमित है, जो शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन है।

- बैंक द्वारा कार्डधारक को कार्ड की सुविधा देने पर विचार करते हुए, कार्डधारक बैंक और/या उसके कर्मचारियों को सभी कार्यों, दावों, मांगों, कार्यवाही, हानियों, क्षतियों, लागतों, शुल्कों और व्ययों से क्षतिपूर्ति करने और अलग रखने से सहमत होता है, जिसे बैंक किसी भी समय कार्डधारक को देने से या उसके कारण या उत्पन्न होने के कारण वहन कर सकता है, बनाए रख सकता है, भुगत सकता है या डाल सकता है, कार्ड की उक्त सुविधा या बैंक द्वारा सद्भाव में कार्य करने और कार्डधारक के लिखतों पर कार्रवाई करने या लेने से इनकार करने या छोड़ने के कारण और विशेष रूप से कार्डधारक की लापरवाही, गलती या कदाचार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने के कारण; खाते(खातों) से संबंधित नियमों और शर्तों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन

और/या कार्डधारक या उसके कर्मचारी या एजेंटों द्वारा किसी भी लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी या बेईमानी।

- कार्डधारक बैंक को आरबीआई के विनिमय नियंत्रण विनियमों का पालन न करने, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफईएमए) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों और/या किसी अन्य अधिनियम/प्राधिकरण के उल्लंघन से होने वाली किसी भी और सभी परिणामों से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा।
- कार्डधारक बैंक को कूरियर द्वारा गलत स्थान रखे जाने या कार्ड/पिन के रास्ते में खोने के कारण होने वाली किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति भी पूरी तरह से करेगा।
- पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के संबंध में कार्डधारक के प्रति किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं लेगा:
    - आपूर्ति की गई माल या सेवाओं की गुणवत्ता में कोई भी दोष। किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्ड स्वीकार करने से इनकार करना। किसी भी कंप्यूटर टर्मिनल/सिस्टम की खराबी जो बैंक के नियंत्रण में न हो।
    - कार्डधारक के अलावा किसी और द्वारा लेनदेन के लिखतों को प्रभावित करना।
    - बैंक के परिसर में बैंक के निर्दिष्ट कर्मचारियों के अलावा किसी और को कार्डधारक द्वारा कार्ड सौंपना।
    - बैंक द्वारा कार्ड पर दी गई समय-सीमा समाप्ति तिथि से पहले कार्ड के समर्पण की मांग करने और प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग, चाहे ऐसी मांग और समर्पण बैंक द्वारा किया गया और/या प्राप्त किया गया हो।
    - बैंक द्वारा कार्ड को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग।
    - कार्डधारक के क्रेडिट, चरित्र और प्रतिष्ठा पर कथित रूप से कोई भी नुकसान कार्ड के पुनः अधिकार और/या इसकी वापसी के लिए किसी भी अनुरोध या किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड का सम्मान या स्वीकार करने से इनकार करने के कारण हुई है।
    - बैंक द्वारा खुलासा किए गए किसी भी विवरण में किसी भी तरह की गलत जानकारी, गलत बयानी, त्रुटि या चूक।
    - कार्ड की वापसी का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयोजन के रूप में किया गया कोई कार्य।
- कानून द्वारा आवश्यक के अलावा, अगर बैंक को कोई प्रक्रिया, समन, आदेश, निषेधाज्ञा, निष्पादन विशिष्टता, लेवी ग्रहणाधिकार, जानकारी या सूचना प्राप्त होती है जिसके बारे में बैंक

सद्भावपूर्वक यह मानता है कि कार्डधारक की क्षमता या कार्डधारक द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लिए कार्ड पर लेनदेन करने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो बैंक अपने विकल्प पर और कार्डधारक या ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रति दायित्व के बिना कार्डधारक को अपनी निधियों के किसी भी हिस्से को प्राप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है या इस तरह के धन का भुगतान उपयुक्त प्राधिकारी को कर सकता है और लागू कानून द्वारा आवश्यक कोई अन्य कदम उठा सकता है।

- बैंक कार्डधारक के खाते से लागू सेवा शुल्क और कार्डधारक के कार्ड से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के कारण बिना किसी सीमा के उचित कानूनी शुल्क सहित किसी भी खर्च को काटने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- अगर बैंक या बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कार्डधारक से बकाया देय राशियों के निपटान के लिए मांग या दावा किया जाता है, तो कार्डधारक इस बात से सहमत होता है और स्वीकार करता है कि ऐसी मांग या दावा को मानहानि का कार्य नहीं माना जाएगा या किसी भी तरह से कार्डधारक के चरित्र के प्रतिकूल या प्रतिबिंबित करने वाला कार्य नहीं होगा।
- लेनदेन के गैर-निष्पादन या दोषपूर्ण निष्पादन के मामलों में बैंक की देयता लेनदेन के मूल मूल्य और उसके ब्याज, अगर कोई हो, तक सीमित होगी, जो बैंक की नीतियों और लागू कानून के अधीन होगी।

सुविधाओं का परिवर्धन/निकासी

- बैंक अपने विवेकानुसार आरबीआई या अन्य नियामक (नियामकों) द्वारा बनाए गए लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार कार्डधारक को कार्डधारक की सुविधा और उपयोग के लिए साझाकृत नेटवर्क द्वारा कार्डधारक को कार्ड, एटीएम, पीओएस टर्मिनल, इंटरनेट या अन्यथा और/या अन्य डिवाइस पर अधिक सेवाएं उपलब्ध करवा सकता है।
- बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार, इन डिवाइस पर कार्डधारक द्वारा किए गए लेनदेन से संबंधित सभी शुल्क और प्रभार कार्ड से जुड़े खाते में डेबिट द्वारा वसूल किया जाएगा।
- कार्डधारक यह समझता है और सहमत है कि साझाकृत नेटवर्क पर अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यक्षमताओं और सेवा पेशकश और अलग-अलग शुल्क लिए जा सकते हैं।
- बैंक अपने विवेकाधिकार से, किसी भी समय, कार्डधारक को सूचना दिए बिना, भारत के भीतर/बाहर एटीएम/पीओएस टर्मिनल/इंटरनेट/अन्य डिवाइस पर कार्ड और/या इससे संबंधित सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा को वापस लेने, बंद करने, रद्द करने, निलंबित करने/या

समाप्त करने का हकदार होगा और ऐसे निलंबन या समाप्ति से किसी भी तरह से होने वाली हानि या क्षति के लिए कार्डधारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

शुल्क और प्रभार

- कार्ड के लिए वार्षिक शुल्क बैंक की प्रचलित दर पर आवेदन/नवीकरण पर कार्ड से जुड़े मुख्य खाते से डेबिट किया जाएगा। वार्षिक शुल्क वापसी योग्य नहीं है। कार्डधारक खाते में हर समय ऐसी न्यूनतम शेष राशि बनाए रखेगा जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

- बैंक किसी भी समय कार्डधारक से कार्ड जारी करने या पुनः जारी करने के लिए और/या आरबीआई के दिशानिर्देशों और इस नियमावली के अनुसार कार्डधारक द्वारा कार्ड पर किए गए लेनदेनों के लिए कोई शुल्क/प्रभार लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्ड के उपयोग से कोई भी सरकारी शुल्क, ड्यूटी या डेबिट या देय कर कार्डधारक की जिम्मेदारी होगी और अगर बैंक पर (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) लगाया जाता है, तो बैंक खाते से ऐसे शुल्क, ड्यूटी या कर को डेबिट करेगा। इसके अलावा, साझाकृत नेटवर्क के ऑपरेटर अपने एटीएम/पीओएस टर्मिनल/अन्य डिवाइस के प्रत्येक उपयोग के लिए अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं और अन्य लागू शुल्क/प्रभार के साथ ऐसा कोई भी शुल्क कार्डधारक के खाते से काट लिया जाएगा।

- ऐसी सुविधाओं के लिए अलग से सेवा शुल्क लगाए जाएंगे जो बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाएंगे और कार्डधारक के खाते से काटे जाएंगे। ऐसे शुल्क में कटौती करने के लिए खाते में अपर्याप्त धनराशि की स्थिति में, बैंक किसी भी आगे के लेनदेन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- ओवरड्रॉन खातों के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में, कार्डधारक खाता शेष की स्थिति को तुरंत नियमित करेगा। यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि जब भी खाता ओवरड्रॉ हो जाता है, तो खाते में डेबिट शेष राशि पर लगाए जाने वाले ब्याज के अतिरिक्त फ्लैट शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा और समय-समय पर घोषित किया जाएगा।

- कार्ड लेनदेनों के कारण किसी खाते के ओवरड्रॉ होने की स्थिति में, बैंक व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से रखे गए कार्डधारक के किसी अन्य खाते से लिए गए किसी भी क्रेडिट पर इस राशि को लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नियम और शर्तों में न होने के बावजूद भी कोई भी चीज बैंक और कार्डधारक के बीच समय-समय पर मौजूद किसी अन्य अनुबंध के अनुसार कानून पर धन के सेटऑफ, हस्तांतरण और आवेदन के बैंक के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

- बैंक न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगा सकता है। न्यूनतम शेष राशि की शर्त के अलावा, बैंक कार्ड के उपयोग के लिए सेवा और अन्य शुल्क लगा सकता है जिसे समय-समय पर कार्डधारक के लिए सूचित किया जाएगा।

- कार्डधारक बैंक को बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार कार्ड से संबंधित सभी शुल्कों की वसूली करने के लिए प्राधिकृत करता है और कार्डधारक को समय-समय पर कार्ड से जुड़े खाते से डेबिट करके सूचित करता है।
- बैंक द्वारा निर्धारित लागू शुल्क और प्रभारों का विवरण वेबसाइट और/या शाखाओं में दिखाया जाएगा।
- कार्ड भुगतान संसाधित करने के लिए किसी व्यापारी प्रतिष्ठान (भौतिक/ऑनलाइन/संपर्करहित) या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा लगाया गया कोई भी सुविधा शुल्क या अधिभार कार्डधारक की जिम्मेदारी होगी और बैंक ऐसे शुल्क या अधिभार के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

विवाद

- बैंक किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को स्वीकार करने और/या सम्मानित करने से इनकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। व्यापारी प्रतिष्ठान से लेनदेन से संबंधित विवाद की स्थिति में, नोट किए गए कार्ड नंबर के साथ कार्डधारक के हस्ताक्षर वाली शुल्क/बिक्री पर्ची कार्डधारक द्वारा वहन की गई देयता की सीमा तक बैंक और कार्डधारक के बीच निर्णायक साक्ष्य होगी और बैंक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्डधारक ने खरीदा हुआ/खरीदा जाने वाला माल विधिवत प्राप्त कर लिया है या कार्डधारक की संतुष्टि के लिए प्राप्त की जाने वाली सेवा विधिवत प्राप्त हो गई है ।
- अगर कार्डधारक को खाता स्टेटमेंट में दर्शाए गए किसी शुल्क के संबंध में कोई विवाद है, तो कार्डधारक खाता स्टेटमेंट की तिथि से 30 दिनों के भीतर बैंक को विवरण की सूचना देगा, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि सभी शुल्क स्वीकार्य और क्रम में हैं।
- बैंक अपने विवेकाधिकार पर 30 दिनों से अधिक पुराने शुल्कों पर किसी भी विवाद को स्वीकार कर सकता है। बैंक असहमति की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर खाता स्टेटमेंट में दर्शाए गए लागू शुल्क के साथ पीड़ित कार्डधारक की असहमति को हल करने के लिए हमेशा की तरह और उचित प्रयास करेगा। अगर इस तरह के प्रयास के बाद बैंक यह निर्धारित करता है कि दर्शाया गया शुल्क सही है, तो वह कार्डधारक को बिक्री पर्ची या भुगतान मांग की कॉपी सहित विवरण के साथ सूचित करेगा।
- साझाकृत नेटवर्क के एटीएम लेनदेन के संबंध में किसी भी विवाद को नियामक प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों के अनुसार हल किया जाएगा। कार्डधारक के पास हो सकने वाले साझाकृत नेटवर्क के साथ किसी भी अनुबंध की जिम्मेदारी को बैंक स्वीकार नहीं करता।
- अगर कार्डधारक को किसी साझाकृत नेटवर्क एटीएम से संबंधित कोई शिकायत है, तो कार्डधारक को ऐसे साझाकृत नेटवर्क के साथ मामले को हल करना चाहिए और ऐसा करने में विफलता

ऐसे कार्डधारक को बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। हालांकि, कार्डधारक को शिकायत के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए।

वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता

- बैंक, किसी भी तरह से व्यापारिक संस्थान से कार्डधारक द्वारा खरीदे, या प्राप्त किए गए सामान, सामान की वारंटी या किसी भी सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, इसमें डिलीवरी में देरी, गैर-डिलीवरी, सामान की गैर-प्राप्ति या कार्डधारक द्वारा दोषपूर्ण सामान की प्राप्ति शामिल है।
- यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि डेबिट कार्ड पूरी तरह से सामान खरीदने और/या सेवाएं पाने के लिए एक तरह की सुविधा है, सामान की गुणवत्ता, डिलीवरी या किसी भी चीज के लिए बैंक कोई वारंटी नहीं देता या न ही इसका प्रतिनिधित्व करता है। व्यापारी प्रतिष्ठान वाले कार्डधारक को सामान के संबंध में किसी भी विवाद या दावे को हल करना चाहिए।
- दावे या विवाद की मौजूदगी कार्डधारक को कार्ड पर बैंक को देय सभी शुल्कों का भुगतान करने के उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

शासकीय कानून और अधिकार क्षेत्र

बैंक और कार्डधारक सहमत हैं कि शर्तों से उत्पन्न होने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही नोएडा, भारत के अदालतों और/या ट्रिब्यूनल के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगी। इन नियमों और शर्तों को भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा और समझा जाएगा।

बदलावों की सूचना

- बैंक के पास कार्ड पर दी जाने वाली किसी भी शर्तों, सुविधाओं और लाभों में संशोधन या पूरक करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा जिसमें बिना किसी सीमा के ऐसे बदलाव शामिल हैं जो किसी भी समय ब्याज शुल्क या दरों और गणना के तरीकों को प्रभावित करते हैं।
- कार्डधारक इन संशोधित शर्तों के तहत लगने वाले सभी शुल्कों और अन्य सभी दायित्वों के लिए तब तक उत्तरदायी होगा जब तक कार्ड में सभी राशियों का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है।
- बैंक समय-समय पर बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बैंक की वेबसाइट पर या किसी अन्य तरीके से संशोधित शर्तों को सूचित करेगा। कार्डधारक इन नियमों और शर्तों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें बैंक की वेबसाइट पर डाले गए संशोधन भी शामिल हैं।
- अगर शर्तों में बदलाव के कारण कार्डधारक कार्ड को बंद करना चाहता है तो वह बैंक की वेबसाइट पर संशोधित शर्तों के संचार/अपलोड करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर

ऐसा कर सकता है। हालांकि, यह माना जाएगा कि उसने ऐसी संशोधित शर्तों की सूचना की तिथि से विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद कार्ड का उपयोग जारी रखते हुए संशोधित शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

- नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना कार्डधारक को उनके कार्यान्वयन की तिथि से 30 दिन पहले ऊपर बताए गए तरीके से दी जाएगी।

अन्य नियम और शर्तें

- नियम और शर्तों, सेवा प्रभार और शुल्क ब्रोशर की कॉपी और व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता संहिता शाखा/वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
- लागू जीएसटी सभी शुल्कों पर लगाया जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि बैंक समय-समय पर लागू सेवा शुल्क के लिए मेरे खाते को डेबिट कर सकता है।
- कार्डधारक सहमत है और स्वीकार करता है कि वह अपने खाते पर नजर रखता है और बैंक को किसी भी संदिग्ध लेनदेन, धोखाधड़ी, आदि के बारे में तब सूचित करता है जब वह उसके कार्ड और/या खाते (खातों) से प्रतिबद्ध है।
- बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी भी सेवा को आंशिक रूप से/पूरी तरह से बंद कर सकता है या 30 दिनों का नोटिस देकर शुल्क बदल सकता है। शुल्क में सभी संशोधन बैंक की शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर और हमारी वेबसाइट www.shivalikbank.com पर दिखाए जाएंगे।
- बैंक को अपने विवेकाधिकार पर समय-समय पर नियमों और विनियमों को संशोधित करने का अधिकार होगा जो समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा
- कार्डधारक घोषणा करता है कि प्रस्तुत किए गए व्यक्तिगत विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सटीक हैं। मेरे द्वारा गलत या अधूरी सूचना देने के कारण होने वाली किसी भी हानि के लिए मैं बैंक को क्षतिपूर्ति करूंगा।
- कार्ड से संबंधित नियमों और विनियमों को मुझे समझाया गया है और मैं उसका पालन करने के लिए सहमत हूं।
- कार्डधारक बैंक और/या उसके एजेंटों से सहमत है जो समय-समय पर विभिन्न अन्य उत्पाद अपडेट, विपणन प्रचार, विशेष ऑफर या ऐसी किसी भी जानकारी के लिए कार्डधारक से संपर्क करते हैं। मैं खुद के मोबाइल नंबर, ईमेल और फोन कॉल पर एसएमएस द्वारा ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता हूं। मैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को व्यक्तिगत विवरण संबंध में दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजने के लिए अधिकृत करता हूं।